

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/16/2025

रजू दिनांक: 05.02.2025

रजि0 न0 2025/23

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री विनोद कुमार अधिवक्ता, सीट नम्बर 313,  
साउथ विंग, जिला न्यायालय सेक्टर-12,  
फरीदाबाद-121007 (हरियाणा)

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला  
कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 18.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 21.01.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 11.02.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/156 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से RTI Online Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन क्रमांक 293531638662728 दिनांक 19.12.2024 के परिप्रेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन क्रमांक 293531638662728 दिनांक 19.12.2024 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में ऑनलाईन पत्र सं. 9820782881 दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदक को पंजीकृत-पत्र के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। तथापि अपील अपील के अनुपालना में पूर्व प्रेषित सूचना/विनिश्चय से अपीलार्थी को पुनः सूचित किया जा रहा है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में RTI Online Portal Letter No. 9820782881 Date 20.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/157 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)  
जिला कलक्टर अलवर  
(राजस्थान)